राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 118/2014/भरतपुर

सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त–अ, भरतपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रदीप इलेक्ट्रोनिक्स, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,

उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता

अभिभाषक । ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.09.2014

निर्णय

अपीलार्थी, सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर विभाग,, वृत्त–अ, भरतपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपीलीय प्राधिकारी,वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2013, जो अपील संख्या 64/उपा–भरत/2012–13 के संबंध में है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण–द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों के आलोक में, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिजली,इलेक्ट्रोनिक्स व सिलाई मशीन का विक्रय किया जाता हैं, के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को विक्रय के पश्चात् (एक्स पोस्ट फेक्टो) प्राप्त होना अवधारित कर, इस संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन रू. 5,69,671/– को विक्रय मूल्य का भाग मानकर, घोषित विक्रयावर्त में वृद्धि कर, रू. 1,07,693/–कर आरोपित किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर को विधिसम्मत नहीं होना अवधारित कर, जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 04.07.2013 के अपास्त कर दिया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार कर, कायन की गयी मांग को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में अधिनियम की धारा 2(36) व धारा 2(41) के प्रावधानों को समझने में प्रथम दृष्ट्या विधिक भूल की है जैसा कि उनके द्वारा क्रय किये गये माल के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को आधार बनाकर यह निष्कर्ष अवधारित करना कि उसके द्वारा कम लाभ पर माल का विक्रय किया गया है तथा उक्त आधार पर विक्रय मूल्य में क्रय के पश्चात् प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को जोड़कर, विक्रय मूल्य में वृद्धि करना किसी भी रूप में विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, न ही क्रय के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को विक्रय मूल्य में ही अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय के प्रकाश में, जोड़ा जा सकता है । उन्होने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत समस्त माल पर प्रथम बिन्दु पर, सम्पूर्ण घोषित विक्रय कीमत पर देय कर (वैट) जमा कराया गया है । विक्रेता व्यवहारी द्वारा घोषित विक्रय कीमत में से कोई रिबेट अथवा डिस्काउंट/कमीशन को कम किया जाकर, कर (वैट) का भुगतान नहीं किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में, इस आधार पर मनमर्जी से विक्रयावर्त में वृद्धि कर, करारोपण करना विधिअनुकूल नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में पुनः अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों को प्रोद्धरित कर, आरोपित कर पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 834/2012/अलवर वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत-ए,अलवर बनाम मैसर्स आर.एस.टायर हाऊस ट्रांसपोर्ट नगर,अलवर में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2012 को उद्धृत कर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवम् अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया । उक्त प्रावधानों का मूल पाठ इस प्रकार है:-

अधिनियम की धारा 2(36).-"sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowedby

way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I.–.. Explanation II.– Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

अधिनियम की धारा 2(41)."turnover" means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub–section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने क्रीत माल पर, प्रथम विक्रेता व्यवहारी से डिस्कॉउन्ट प्राप्त किया है एवम् जिस पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण–द्वितीय के प्रावधान लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने घोषित विक्रय कीमत में से विक्रय के पश्चात्, किसी प्रकार का कोई डिस्काउण्ट/ रिबेट/कमीशन/रिवार्ड प्रदान नहीं किया गया है । अधिनियम की धारा 2(36) में विक्रय के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त राशि की अवधारणा को परिभाषित कर, स्पष्टीकरण में वर्णित उक्त प्रावधानों अग्रिम रूप से स्पष्ट किया गया है । चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय पर डिस्काउण्ट/कमीशन प्राप्त किया गया है, परन्तु प्रथम विक्रेता व्यवहारी द्वारा इसे घोषित कर योग्य विक्रयावर्त में से कम नहीं किया गया है । अतः कम लाभ की दर के आधार पर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषित विक्रय कीमत को मनमर्जी से बढ़ाया जाकर, करारोपण करना विधि के उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में, अनुज्ञेय नहीं है। अप्रार्थी की ओर से उद्धृत राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील

संख्या 834/2012/अलवर वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत-एअलवर बनाम मैसर्स आर. एस.टायर हाऊस ट्रांसपोर्ट नगर,अलवर में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2012 के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया मेल खाने से विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई न्यायसम्मत औचित्य नहीं है। फलतः अपीलीधीन आदेश की पुष्टि की जाकर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य